**न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कम संख्या –5, उदयपुर**

पीठासीन अधिकारी : मुकेश चावला(UID No. RJ 00779)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

**विविध आपराधिक प्रकरण सी आई एस संख्या–1269/2026**
**(प्रथम सूचना रिपोर्ट सं.–97/2022 थाना सुरजपोल)**

राजेन्द्र पिता केशुलाल, उम्र 59 वर्ष, निवासी मकान नंबर 8,रोड नंबर 1, सुभाष नगर, बी.एन.कालेज के सामने, उदयपुर(राज.)
(माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा S.B. Cri. Misc. Appl. No. 376/2018 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2018 की पालना में अभियुक्त की जाति अंकित नहीं की गई है)

.....प्रार्थी/अभियुक्त

**–विरुद्ध–**

राजस्थान राज्य .....विपक्षी/अभियोगी

**प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस**

उपस्थितः–
1. **श्री बजरंग सिंह राणावत–**अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. **श्री गोपाल पालीवाल**, अपर लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।

**– आदेश –**

**दिनांक– 30.06.2026**

**1.** लिपिकीय रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अग्रीम जमानत का यह प्रथम आवेदन पत्र है।

2. प्रार्थी राजेन्द्र की ओर से प्रस्तुत जमानत का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 482 बीएनएसएस दिनांक 20.06.2026 को पेश हुआ, जो अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हआ। जमानत प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया।

3. केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से घटना के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 02.03.2022 को परिवादी हिम्मतसिंह, आयुक्त नगर निगम उदयपुर के हस्ताक्षरित एक रिपोर्ट

ओमप्रकाश मेघवाल कनिष्ठ सहायक ने पुलिस थाना सूरजपोल में इस आशय की पेश की कि नगर विकास प्रन्यास से नगर निगम उदयपुर को जो योजनाऐं हस्तान्तरित हुई, उनमें से कुछ भूखण्ड़ों पर अनाधिकृत कब्जे किये जाने तथा खुर्द–बुर्द की शिकायत पर एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हो रही जानकारी की तथ्यात्मक जांच के लिए महापौर द्वारा एक कमेटी गठित की गई। उक्त कमेटी द्वारा नगर विकास प्रन्यास से हस्तान्तरित योजना की जांच के क्रम में नगर विकास प्रन्यास उदयपुर को पत्र प्रेषित किया गया, जिस पर नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा जवाब में यह स्पष्ट किया गया कि तथाकथित भूखण्डों की सूची नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के पास उपलब्ध नहीं है। नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा हस्तान्तरित योजनाओं में मात्र 3551 भूखण्ड़ो की पत्रावलियां ही हस्तान्तरित हुई, जबकि प्रोपर्टी रजिस्टर के अनुसार कुल 6959 प्रविष्ठियां उपलब्ध है। जिन भूखण्डों की पत्रावलियां नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से प्राप्त नहीं हुई, उनकी मौका जांच नगर निगम उदयपुर द्वारा करवाई गई। जिनमे प्रथम दृष्टया यह तथ्य उभर कर आया कि अहस्तान्तरित भूखण्डों में अधिकांश भूखण्डों पर नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा पट्टे आवंटन की कार्यवाही की गई। बाद जांच यह तथ्य सामने आया कि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर से प्राप्त मूल पत्रावलियों में कूटरचित आवंटन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें मूल राशि जमा नहीं थी, परन्तु उनमें मूल राशि जमा की कूटरचित मोहर लगाकर नगर निगम को मूल पत्रावली हस्तान्तरित हुई, जिसके प्रमाणित दस्तावेजों पर सद्भावना पूर्वक विश्वास कर लीज डीड नगर निगम उदयपुर द्वारा जारी की गई। कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर मूल्यवान प्रतिभूति की रचना कर छल कर तथ्यों को छिपाकर गुलाबसिंह, अर्जुनलाल गांधी, गुलाबसिंह राव, कन्हैयालाल भदविया व मानसिंह लीजधारकों द्वारा नगर निगम उदयपुर से लीजडीड प्राप्त की गई ..... इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना सूरजपोल द्वारा प्रकरण संख्या 97/2022 अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भा.द.सं. में दर्ज किया जाकर प्रकरण अनुसंधानरत है।

4. दौरोन बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त

प्रकरण मे प्रार्थी को इस वजह से लिप्त किया जा रहा है कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण के अन्य अभियुक्त राजदीप सिंह से एक प्लोट आवासीय भूखण्ड के क्रय करने के संबंध में एक विक्रय इकरार दिनांक 03.08.2018 को निष्पादित किया गया था, जो आवासीय प्लोट संख्या 747 हिरणमगरी, सेक्टर 11, उदयपुर में स्थित था। जिसके संबंध में राजदीप सिंह व अन्य अभियुक्त नितेश कोठारी, विक्रम तोतडिया आदि ने प्रार्थी से यह बताकर कि राजदीप सिंह की माता श्रीमती गीता देवी के नाम पर उक्त प्लोट है, जिसका राजदीहपसिंह ने अपनी माता गीता देवी से रजिस्टर्ड पावर आफ एटार्नी ले रखी है, जिससे उक्त प्लोट को विक्रय करने का अधिकार प्राप्त है एवं उसके द्वारा प्लोट के संबंध में दस्तावेजों की फोटो प्रति व पावर आफ एटार्नी की फोटो प्रति प्रार्थी को दिखाने पर प्रार्थी ने सही मानकर राजदीप सिंह से उक्त प्लोट का सौदा किया एवं प्लोट की कीमत राजदीप सिंह द्वारा एक करोड पिचयासी लाख तय की गयी और उसी दिन उक्त प्लोट के क्रम करने की एवज में अग्रीम राशि के रूप में जरिए आरटीजीएस के माध्यम से कुल 11 लाख रूपए राजदीपसिंह को हस्तान्तरित किए गए एवं उसके पश्चात् राजदीप सिंह के बताए अनुसार दस–दस लाख रूपए जरिए आरटीजीएस दिनांक 24.10.2018 को हस्तान्तरित किए एवं राजदीप सिंह के बताए अनुसार अन्य व्यक्तियों को करीबन् 20 लाख रूपए नकद दिए। इस प्रकार कुल अगीम राशि 51 लाख रूपए प्राप्त कर ली। उसके बावजूद आज दिनांक तक न तो प्रार्थी/अभियुक्त के नाम पर उक्त प्लोट का पंजीयन कराया है और न ही प्रार्थी/अभियुक्त को राजदीप सिंह द्वारा कोई राशि लौटायी गयी। उक्त प्लोट के संबंध में जो दस्तावेज राजदीप सिंह द्वारा दिखाए गए, उसमें नगर निगम द्वारा जारी लीज डीड, जो राजदीप सिंह की माता गीता देवी के नाम पर थी व मुख्तियार नामा राजदीप सिंह के नाम पर गीता देवी द्वारा निष्पादित किया हुआ था। जो उप–पंजीयक, उदयपुर द्वारा दिनांक 13.01.2017 को निष्पादित किया हुआ था। उक्त प्लोट के संबंध में विक्रय इकरार दिनांक 03.08.2018 को प्रार्थी/अभियुक्त एवं राजदीप सिंह के मध्य हुआ था, इससे पूर्व प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त प्लोट के संबंध में कोई लेना–देना नहीं था। बाद में जानकारी में आया कि राजदीप सिंह, नितेश

कोठारी, विपिन कोठारी, दीपक सिंह, राकेश सोलंकी व विक्रम तोतडिया आदि ने मिलकर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर उक्त प्लोट अपना बताकर प्रार्थी/अभियुक्त को धोखे में रखकर उससे प्लोट की एवज में राशि जरिए इकरारनामा प्राप्त की। प्रार्थी एक सद्भाविक क्रेता था, उसके द्वारा अन्य अभियुक्तों से मिलकर कोई कूटरचित दस्तावेज तैयार नहीं किए गए थे और न ही इसके बारे में उसे कोई जानकारी थी। उनका यह भी निवेदन रहा कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा जो अन्य प्लोट के क्रेता थे, उनसे पूछताछ कर उन्हें सद्भाविक क्रेता माना गया है, जबकि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त प्रकरण में संदेह के आधार पर लिप्त कर झूंठा फंसाया जा रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा माननीय राज. उच्च न्यायालय, जोधपुर में पेश एस.बी.रिट पिटीशन नंबर 79/2025 अंतर्गत धारा 482 सीआरपीसी/528 बीएनएसएस में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2025 को प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गयी, जो आज दिनांक तक जारी है। उनका यह भी तर्क रहा कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा अन्य अभियुक्तगण राजदीप सिंह, दीपक सिंह, सुमित्रा देवी को गिरफ्तार कर चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है एवं प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 173(8) सीआरपीसी में अनुसंधान शेष माना है। प्रकरण की प्रगति रिपोर्ट पुलिस थाना सुरजपोल द्वारा प्रस्तुत किए जाने से उसमें प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में संलिप्त माना है। प्रार्थी/अभियुक्त को उसकी गिरफ्तारी का पूर्ण अंदेशा है। प्रार्थी/अभियुक्त एक सद्भाविक क्रेता है एवं उसे धोखे में रखकर उससे प्लोट के क्रय करने के एवज में एक मोटी रकम प्राप्त की गयी है। प्रार्थी 60 वर्षीय वृद्ध होकर अक्सर बीमार रहता है, उसे नियमित रूप से डॉक्टर्स की निगरानी में नियमित दवाईयों का सेवन करना पडता है। साथ ही रात्रि को सोते समय स्वास लेने में दिक्कत होने की वजह से उपकरण की सहायता से ऑक्सीजन का सपोर्ट लेना पडता है। प्रार्थी अनुसंधान में सहयोग हेतु तैयार है, प्रार्थी की समाज एवं शहर में अच्छी प्रतिष्ठा है। यदि प्रार्थी को उक्त प्रकरण में गिरफ्तार कर लिया जाता है तो प्रार्थी की बनी बनायी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रीम जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

5. उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अपर लोक अभियोजकने तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में भी इसी प्रकार के धोखाधडी के प्रकरण दर्ज हुए हैं। उन्होंने प्रार्थी/अभियुक्त का अग्रीम जमानत आवेदन खारिज किए जाने का निवेदन किया।

6. उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संबंध मे केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से **प्रार्थी/अभियुक्त** के विरूद्ध पूर्व में निम्न प्रकरण दर्ज होना प्रकट होता हैं–

| क्र.सं. | प्रकरण सं. मय पुलिस थाना | धारा | निर्णय |
|---|---|---|---|
| 1 | 343/22 सवीना | 406, 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.द.सं. | – |
| 2 | 116/22 हिरणमगरी | 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.द.सं. | – |

7. हस्तगत प्रकरण के प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में प्रस्तुत एस.बी. क्रिमिनल मिस.(पिटीशन) संख्या 79/2025 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी पर रोक लगायी गयी है।

केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण विक्रम ताकडिया, नितेश कोठारी, विपिन कोठारी, मनोहर सिंह राव, राजदीप सिंह, दीपक सिंह चौहान, राकेश सौलंकी के साथ मिलकर भूखण्ड संख्या 98 हिरणमगरी, सेक्टर 08, भूखण्ड संख्या 747 हिरणमगरी सेक्टर 11 को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर क्रय करने बाबत् विक्रय इकरार किया जाना एवं अभियुक्तगण द्वारा तैयार किए गए कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त राजेन्द्र धाकड द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना धाकड के नाम पर भूखण्ड संख्या 01 हिरणमगरी सेक्टर 08, भूखण्ड संख्या 746 हिरणमगरी सेक्टर 11 को क्रय कर पुनः विक्रय किया जाना प्रथम दृष्टया प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध भूखण्डों/जमीनों से संबंधित पूर्व में इसी प्रकार के दो प्रकरण (1) प्रकरण संख्या 343/22 सवीना अंतर्गत धारा 406,

419, 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.द.सं. एवं (2) प्रकरण संख्या 116/22 हिरणमगरी अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी भा.द.सं. दर्ज हुए हैं। **अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियो को देखते हुए** इस प्रकम पर प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रीम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः प्रार्थी/अभियुक्त राजेन्द्र धाकड की ओर से प्रस्तुत यह अग्रीम जमानत का आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

9. आदेश की एक प्रति अधीक्षक, जिला केन्द्रीय कारागृह, उदयपुर को भेजी जावे

**(मुकेश चावला)**
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कम संख्या 05, उदयपुर

10. आदेश आज दिनांक 30.06.2026 को विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

**(मुकेश चावला)**
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कम संख्या 05, उदयपुर।